<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश,बिहारशरीफ,नालन्दा।</u>

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 300/2026

अजित यादव बनाम बिहार सरकार

छबीलापुर थाना कांड सं0 83/2025

अंतर्गत धारा 126(2), 109(1), 352 B.N.S & 27 Arms Act

<u>12.03.2026</u>

अभियुक्त **अजित यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में दिनांक 10.06.2025 को उनके गांव के यशवंत यादव उर्फ भोसू यादव के बीच ताड़ के फल को लेकर विवाद हुआ था। उसी बात को लेकर दिनांक 13.06.2025 को समय करीब 05:30 बजे शाम में सुजीत यादव, संजय यादव, मनीष यादव एवं अजीत यादव ने घर पर आकर जान मारने की नियत से सूचक एवं उसके परिवार के उपर पिस्टल से गोली फायरिंग करने लगा। तब वे लोग जान बचाने के लिए घर के छत पर छिप गए। जिसमें उपरोक्त लोगों द्वारा करीब 10 राउंड किया गया तब पुलिस को सूचना दिए। पुलिस आयी तो फायरिंग में चार गोली के खोखा बरामद किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को झूठे व गलत आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । उक्त धाराओं का अभियोग आवेदक के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है। बी0एन0एस0 की धारा 109(1) एवं 27 आर्म्स एक्ट को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक के विरूद्ध मारपीट या फायरिंग करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य व बहुप्रयोज्य है। पूर्व में उभय पक्षों द्वारा आपस में संधि–समझौता हो गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । इस वाद के सह–अभियुक्त मनीष यादव मनीष कुमार यादव एवं यशंवत यादव भोंसू यादव को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रि0 मि0 नं0 <u>70467/25</u> के माध्यम से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने की संभावना है । अतः आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हैं ।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया और पाया कि उभय पक्षों में किसी बात को लेकर साधारण वाद–विवाद हुआ है । यह भी विदित होता है कि लिखित आवेदन में आवेदक के विरूद्ध फायरिंग या मारपीट करने का कोई विशिष्ट आरोप बनता प्रतीत नहीं होता है तथा उक्त घटना में

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश,बिहारशरीफ,नालन्दा</u>।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 300/2026

अजित यादव बनाम बिहार सरकार

छबीलापुर थाना कांड सं0 83/2025

अंतर्गत धारा 126(2), 109(1), 352 B.N.S & 27 Arms Act

<u>लगातार</u>

12.03.2026

किसी को काई जख्म कारित नहीं हुआ है । इस वाद के सह–अभियुक्त मनीष यादव मनीष कुमार यादव एवं यशंवत यादव भोंसू यादव को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कि0 मि0 नं0 70467/25 के माध्यम से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदक का भी मामला जमानत प्राप्त अभियुक्तों के समरूप है । आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदक को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन आवेदक को 10,000/– रु0 के जमानत तथा समान राशि समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।